#2024/203/[illegible]

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

तेजपाल बनाम गुफरान आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 238 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.06.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.06.2024 को पेश हो। [initials]	गुफरान
5.6.2024	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने हाजिर अदालत आकर पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 7.6.2024 को पेश हो।	[illegible] [illegible] -[illegible] सलमान
7.6.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PW [illegible] आज [illegible] में [illegible] है। पत्रावली [illegible] गरज स्टेट जवाब दिनांक 11.6.2024 को पेश हो [initials]	
11.6.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा व वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नतीजा [illegible] की जाकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:22:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 238/2024 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट
तेजपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. गुफरान पुत्र आशकअली जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर।
2. जनेज अली पुत्र मोहम्मद रफी जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर।
3. शाहरसुल पुत्र मोहम्मदरफी जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर।
4. सदामहुसैन पुत्र आशकअली जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर।
5. सलमान पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादी
श्री श्रवण वर्मा प्रतिवादी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक– 11.6.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:–

1. वादी तेजपाल पुत्र भागीरथ को तहसील रावतसर के चक नम्बर 22 एन.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 114/10(11) के किला नम्बर 7–8–9 की 0.7590 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.2280 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.0760 हैक्टेयर उतरी पासा, किला नम्बर 14 की 0.2530 हैक्टेयर, 15 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.0760 हैक्टेयर पूर्व पासा इस प्रकार कुल 1.8980 हैक्टेयर कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को रोही मौजा चक नम्बर 22 एन.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 63/71 के पत्थर नम्बर 114/10(11) के किला नम्बर 11/2 की 0.1520 हैक्टेयर, 12/1 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.1770 हैक्टेयर, किला नम्बर 18, 19 की 0.5060 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/2 की 0.2280 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/2 की 0.2280 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/1 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 24–25 की 0.5060 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 114/27(15) के किला नम्बर 1/2, 2 ता 4, 8, 9, 20/2 की 1.3280 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 4.1370 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.6.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:22:21 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner